

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 5-3/2002/1-7
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 01/03/2017

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषय:- छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सम्मान निधि नियम, 1972 में संशोधन के संबंध में।

शासन द्वारा छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सम्मान निधि नियम, 1972 के नियम 4 के उपनियम (1) में संशोधन कर राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को दी जाने वाली सम्मान निधि की राशि को दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से रुपये 15,000/- से बढ़ाकर रुपये 25,000/- किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25.02.2017 की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

(एल.डी.चोपड़े)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पू.क्रमांक एफ 5-3/2002/1-7
प्रतिलिपि:-

नया रायपुर, दिनांक 01/03/2017

1. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
2. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर प्रदेश के समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
3. जनसंपर्क अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़।
5. समस्त जिला कोषालय, छत्तीसगढ़।
6. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट www.cg.nic.in/gadonline में अपलोड करने हेतु।

की ओर अधिसूचना की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग



श्री अर्जुन
2/3/17

श्री अर्जुन
2/3/17

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक २५/०२/२०१७

क्रमांक एफ ५-३/२००२/१-७ :: राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सम्मान निधि नियम, १९७२ में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम ४ में, उपनियम (१) में, शब्द, अंक एवं चिन्ह "रूपये १५,०००/- (रूपये पंद्रह हजार)" के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह "रूपये २५,०००/- (रूपये पच्चीस हजार)" प्रतिस्थापित किया जाये।

उक्त संशोधन, दिनांक ०१ अप्रैल, २०१७ से लागू होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(डी.जी.सिंह)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग